राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2088/2013/उदयपुर.

मैसर्स कुणाल एन्टरप्राईजेज,
7–ए, पंचवटी, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/09/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 151/सीएसटी/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये धारा 9 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23, 55 व 58 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अन्तर्गत धारा 58 रूपये 35,330/– की पुष्टि की है, जिसे राजस्व द्वारा इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.01.2012 को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित करते हुए दिनांक 17.10.2012 को आदेश पारित किया गया। व्यवसायी द्वारा तिमाही बिक्री विवरण पत्र द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ समयावधि में पेश नहीं किये गये हैं। अर्थात् क्रमशः 113 दिन, 28 दिन एवं 41 दिन विलम्ब से पेश किये गये है। इस संबंध में व्यवसायी को सूचना पत्र दिनांक 13.01.2012 तक अपना प्रतिउत्तर पेश करने गया था। जिसकी नियमानुसार धारा 58 के तहत् क्रमशः रूपये 8,357/–, 8,000/– एवं 18,973/– कुल रूपये 35,330/– शास्ति आरोपित की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.10.2012 के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 150/वैट/2012–13 आदेश दिनांक 30.08.2013 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई थी, के संबंध में द्वितीय अपील राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 2087/2013/उदयपुर क्रमांक से प्रस्तुत की गई थी। राजस्थान कर बोर्ड के एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2087/2013/उदयपुर का निस्तारण निर्णय दिनांक 25.05.2015 के द्वारा निम्नानुसार किया गया :–

"उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन के साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(92)/एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 का भी अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थीगण मार्बल के व्यवसायी है और नियमित कर चेक पोस्ट पर जमा कराते हैं, इस कारण मासिक कर दाता की श्रेणी में नहीं आते है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 के समस्त रिटर्न व देय कर दिनांक 31.03.2011 तक जमा कराने पर आरोपित शास्ति एवं ब्याज को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(92)/एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के द्वारा माफ कर दिया गया है। उक्त अधिसूचना को उद्धत करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

"In exercise of the powers conferred by section 51A,Raj.VAT Act, 2003, and in supersession of this department notfn No.12(25)FD/Tax/11-169 dated 30-03-2011 (S.No. V 608, re. Waiver of interest & penalty for 2009-2010), the State Govt. hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 30-09-2011."

हस्तगत प्रकरणों में वर्ष 2009–10 के रिटर्न दिनांक 31.03.2011 के पहले प्रस्तुत कर दिये गये, इस कारण अपीलीय अधिकारी का आरोपित शास्ति एवं ब्याज को यथावत रखने का निर्णय अविधिक है, क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित रिटर्न दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दिये गये हैं तो आरोपित शास्ति को वेव किया गया है।

लगातार.....3

प्रकरणों के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं विधिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है।''

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय के प्रकाश में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी विभाग कि ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2009–10 में वेट अधिनियम की धारा 58 में आरोपित शास्ति के संबंध में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के द्वारा **अपील संख्या 2087/2013/ उदयपुर निर्णय दिनांक 25.05.2015** अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.08.2013 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई है। हस्तगत प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पारित आदेश में धारा 58 में आरोपित शास्ति के संबंध में है, अतः एकलपीठ के निर्णय दिनांक 25.05.2015 से पूर्णतः आच्छादित है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के पश्चात् शास्ति आरोपणीय नहीं रहती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित करके त्रुटि कारित की गई है।

6. उपरोक्त विस्तृत विवेचना के पश्चात् यह निष्कर्षित किया जाता है कि दोनों निम्नतर अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये हैं। अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है अतः अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 28/09/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य